

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/4918

दिनांक - 31/10/23

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 ईश्वरसिंह पुत्र कुम्पसिंह जाति राजपूत निवासी कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


1 जेठमालसिंह पुत्र उदयराजसिंह 2 भंवरसिंह पुत्र जयपालसिंह 3 समुन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह 4 छतरसिंह पुत्र धन्नसिंह 5 पदमसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 6 जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग बाड़मेर 7 सरपंच ग्राम पंचायत कुड़ला 8 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 167/2023

दिनांक- 27/10/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कुड़ला पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 583/386 रकबा 48.09 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31/10/23

क्रमांक :- रीडर/2023/4919-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. ईश्वरसिंह पुत्र कुम्पसिंह जाति राजपूत निवासी कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जेठमालसिंह पुत्र उदयराजसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर